

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
शामली, बाराबंकी, गौतमबुद्धनगर एवं सहारनपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 09-10-2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को वितरित की गयी राहत किटों में हुए व्यय किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में। महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 510/दौआ0, दिनांक 23 सितम्बर, 2025, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत किट वितरित किये जाने हेतु जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी राहत किटों में निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार हुए व्यय के सापेक्ष रुपये 6,34,88,750/- की धनराशि सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों के एवं राहत किट के परिवहन में वाहन ईंधन में हुए व्यय हेतु रु0 12,39,344/- की धनराशि जिलाधिकारी, सहारनपुर के अर्थात् कुल रु0 6,47,28,094/- (रु0 छः करोड़ सैंतालिस लाख अट्ठईस हजार चौरानबे मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

क्र०सं०	जनपद	प्राप्त किटों की संख्या	एल-1 वेण्डर रेट (रुपये प्रति किट)	राहत किट का व्यय
1	2	3	4	5
1	शामली	11000	3490/-	3,83,90,000/-
2	बाराबंकी	2700	3455/-	93,28,500/-
3	गौतमबुद्धनगर	930	3225/-	29,99,250/-
4	सहारनपुर	4300	2970/-	1,27,71,000/-
	कुल योग	18930		6,34,88,750/-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त

विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट (डी०वी०टी०) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(3) भारत सरकार के पत्र सं०-33-03/2020-NDM-1 दिनांक 11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक दरें निर्धारित की गयी हैं, जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदुसार धनराशि उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई वचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2026 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड- 5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तान्कन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹० 6,47,28,094/- (₹० छः करोड़ सैंतालिस लाख अट्ठईस हजार चौरानवे मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000602 बाढ़ से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फंड से

व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
SHAILENDRA MANI TRIPATHI
Date: 09-10-2025 11:19:42
(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या- 1063(1)/एक-10-2025, तद्विनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 7- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

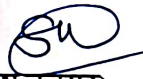
Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-10/10/2025

प्रेषण संख्या:- 1063
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1063
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	सहारनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	14010344 15010344	14010344 15010344
2	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9328500 34328500	9328500 34328500
3	गौतमबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2999250 10499250	2999250 10499250
4	शामली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	38390000 40890000	38390000 40890000
	योग	वर्तमान प्रगामी	64728094 100728094	64728094 100728094

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छः करोड़ सैंतालीस लाख अठाईस हजार चौरानवे
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस करोड़ सात लाख अठाईस हजार चौरानवे


(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्ता कार्यालय
उत्तर प्रदेश।